



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि
10.5.18	<p style="text-align: center;">जमाबंदी रद्द वाद संख्या 73/2017-18 राज्य बनाम खागो कुम्हार पिता मथुरा कुम्हार साकिन दुधनियों, पीरटांड आदेश</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी के पत्रांक 237 दिनांक 21.02.2018 द्वारा अभिलेख प्राप्त हुआ है।</p> <p>अभिलेख अन्तर्गत मौजा दुधनियों थाना नं० 45 के खाता नं० 01/19, प्लॉट नं० -, रकवा 7.12 एकड़ गैरमजरूआ खास परती भूमि की खागो कुम्हार पिता मथुरा कुम्हार साकिन दुधनियों, पीरटांड के नाम कायम अवैध जमाबंदी को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के आलोक में रद्द करने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>अभिलेख अन्तर्गत पक्षकारों को सूचना निर्गत कर भिन्न-भिन्न तिथियों को सुनवाई की गई।</p> <p>अभिलेख अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए:- मौजा दुधनियों थाना नं० 55 के खाता नं० 01/19, प्लॉट नं० -, रकवा 7.12 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास परती भूमि है। वादगत भूमि अनिबंधित सादा हुकुमनामा से प्राप्त बताया गया। भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा प्रश्नगत जमीन का रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।</p> <p>स्पष्ट है कि सरकार के हित को नुकसान पहुँचाने एवं व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से पंजी II में अनाधिकृत प्रविष्टि की गई है।</p> <p>अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मौजा दुधनियों थाना नं० 55 के खाता नं० 01/19, प्लॉट नं० -, रकवा 7.12 एकड़ गैरमजरूआ खास परती भूमि की खागो कुम्हार पिता मथुरा कुम्हार साकिन दुधनियों, पीरटांड के नाम कायम अवैध जमाबंदी को जगदेव महतो एवं कमिशनर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है।</p> <p>सम्पुष्टि हेतु अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="430 1478 641 1657">  अपर समाहर्ता, गिरिडीह। </div> <div data-bbox="1031 1456 1274 1624">  उपायुक्त, गिरिडीह। </div> </div>	